न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 103/2018

1 चन्दगीराम पुत्र दौलाराम।
2 श्रीचन्द पुत्र दौलाराम।
3 मोहनलाल पुत्र दौलाराम।
4 भागीरथ पुत्र दौलाराम।
5 घासीराम पुत्र दौलाराम।
6 विमला देवी पत्नी जगमाल सिंह।
7 अनिल उर्फ आशिष कुमार पुत्र जगमाल सिंह समस्त जाति जाट निवासीगण खींवासर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 जयनारायण पुत्र भैरूराम।
2 रामनिवास उर्फ निवास पुत्र भैरूराम समस्त जाति जाट निवासीगण खींवासर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
3 तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955
अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी मुकदमा उनवानी जयनारायण वगैरह बनाम
चन्दगीराम वगैरह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट
1955 मुकदमा नम्बर 239/2013 निर्णय दिनांक 25.06.2018

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मदनसिंह गिल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

—निर्णय—

दिनांकः—13.09.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 239/2013 में पारित निर्णय दिनांक 25.06.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अदालत मातहत के यहां रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अपीलांट्स व रेस्पोडेंट संख्या 3 के विरूद्व जमीन हाल खसरा नम्बर 278 सरहद मौजा खींवासर की दक्षिणी सीमा के सहारे—सहारे से 300 मीटर लम्बा व 3.03 मीटर चौड़ा रास्ता कायम करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अदालत मातहत ने रेस्पोडेंट सख्या 1 व 2 के उक्त प्रार्थना पत्र को अपने निर्णय दिनांक 25.06.2018 के द्वारा स्वीकार कर जमीन खसरा नम्बर 278 की उतरी सीमा के सहारे तथा खसरा नम्बर 278 की पश्चिमी सीमा के सहारे—सहारे खसरा नम्बर 279 की पश्चिमी सीमा तक रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने धारा 251 के नियम 68 से 70 के पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय में मौका रिपोर्ट से पूर्व अपीलांट को सूचित नही किया गया है। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को बिना मांगा अनुतोष प्रदान किया है। अपीलांट को मौका रिपोर्ट पर आपत्ति का अवसर प्रदान नही किया है। मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते के सम्बंध में कोई कथन नही किया गया है। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने धारा 251ए के विधिक प्रावधानों की पालना में मौका रिपोर्ट प्राप्त कर विधिक प्रकिया की पालना कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय पारित किया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने धारा 251 के नियम 68 से 70 के पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय में मौका रिपोर्ट से पूर्व अपीलांट को सूचित नही किया गया है। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को बिना मांगा अनुतोष प्रदान किया है। अपीलांट को मौका रिपोर्ट पर आपत्ति का अवसर प्रदान नही किया है। मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते के सम्बंध में कोई कथन नही किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधि अनुसार प्रकरण में पुन मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.09.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 13.09.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर